



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

(2009 में स्थापित)

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY
AUTHORITY OF INDIA
(Established in 2009)

वार्षिक लेखा विवरण

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS
2015 - 2016

उद्देश्य एवं कार्य

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) के अंतर्गत गठित तथा दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 की गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) एक सांविधिक निकाय है। सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317(ई) के द्वारा ऐरा की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

ऐरा के सांविधिक कार्य, जैसा कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में दिया गया है, ऐरा के सांविधिक कार्य निम्नलिखित हैं:

(क) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ अवधारित करना:

- (i) विमानपत्तन सुविधाओं के सुधार के लिए उपगत पूंजी व्यय और समय से किया गया विनिधान;
- (ii) प्रदान की गई सेवा, उसकी क्वालिटी और अन्य सुसंगत बातें;
- (iii) दक्षता में सुधार लाने के लिए लागत;
- (iv) महा विमानपत्तन का मित्तव्ययी और व्यवहार्य प्रचालन;
- (v) वैमानिकी सेवाओं से भिन्न सेवाओं से प्राप्त राजस्व;
- (vi) किसी करार या समझौता ज्ञापन में या अन्यथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्थापित रियायत;
- (vii) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हो;

परंतु उपखंड (i) से उपखंड (vii) में विनिर्दिष्ट उपरोक्त सभी या किसी बात को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न विमानपत्तनों के लिए भिन्न-भिन्न टैरिफ संचरनाएं नियम की जा सकेगी;

(ख) महा विमानपत्तनों के संबंध में विकास की फीस की रकम अवधारित करना;

(ग) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के अधीन उद्गृहीत यात्री सेवा फीस की रकम अवधारित करना;

(घ) सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे उपवर्णित कार्यापालन मानकों को जो केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मॉनीटरी करना;

(ङ) ऐसी सूचना मांगना जो खंड (क) के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए आवश्यक हो;

(च) टैरिफ से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

कॉर्प्स / पूंजी निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्प्स/ पूंजी निधि	1	4,175,727.35	13,140,536.56
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देनदारियां	6	-	-
मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	27,944,191.00	36,645,999.00
		32,119,918.35	49,786,535.56
परिसंपत्ति			
अचल परिसंपत्ति	8	18.00	18.00
निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश	9	-	-
निवेश - अन्य	10	-	-
मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	32,119,900.35	3,291,040.98
विविध व्यय		-	-
(बड़े खातों में डाले जाने या समायोजित नहीं किए जाने तक)		-	-
आय से अधिक व्यय	1	-	46,495,477.58
		32,119,918.35	49,786,536.56
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पण	25		

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अविभाज्य भाग हैं।

सम तारीख की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

जी एम आर एंड एसोसिएट्स के लिए

प्रबंधन की ओर से

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ आर एन 024434एन

हस्ताक्षर

मोहित गुप्ता

भागीदार

सदस्यता संख्या 517283

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13.10.2016

स्टांप

एम.एम.नाथन

एस मचेन्द्रनाथन +

अध्यक्ष

पूजा जिंदल

पूजा जिंदल


सचिव

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Opening Balances			I. Expenses		
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses	19,871,155.00	18,488,735.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	41,669,712.63	41,303,818.58
i) In current accounts	3,222,903.98	4,739,162.56	Less: Prepaid expenses of last year		
ii) In deposit accounts			Less: Advance Adjustment of Airport Authority of India		
iii) Savings accounts					
iv) Imprest money					
II. Grants Received			II. Payment made against funds for various projects		
a) From Government of India	95,175,000.00	64,500,000.00	(Name of the fund for project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
b) From State Government					
c) From other sources (details) (grant for capital & revenue exp to be show separately)					
III. Income on Investments from			III Investments and deposits made		
a) Earmark/Endow. Funds			a) Out of Earmark/Endowment funds		
b) Own funds (oth. investment)			b) Out of Own Funds (Investments- Others)		
IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work -in-progress		
a) On Bank Deposits			a) Purchase of Fixed Assets		
b) Loans, Advances etc.			b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
			c) Towards work in progress		
V. Other Income (Specify)	8,266.00	6,580.00	V. Refund of surplus money/Loans		
			a) To the Government of India		
			b) To the State Government		
			c) To the Other providers of fund		
V. Other Receipt (Specify)			VI. Finance Charges		
Security deposit from Bedi & bedi	0.00		a) Bank Charges		9,949.00
VI. Amount Borrowed			b) other charges	37,332.00	4,195.00
VII. Any other receipts (give details)					
Received from Ministry of Civil Aviation for Bank Account opening			VII. Other Payments (Specify)		
			a) Duties and Taxes	6,669,233.00	6,268,193.00
VIII. Other payables	1,961,163.00	51,552.00	VIII. Closing Balances		
			a) Cash In Hand		
			b) Bank Balances	32,119,900.35	3,222,903.98
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings accounts		
	100,367,332.98	69,297,294.56		100,367,332.98	69,297,294.56

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
as per our Review report of even date

For G M R & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 024434N
Mohit Gupta
Mohit Gupta
Partner
Membership No.: 517283
Place: New Delhi



On behalf of management

S. Machendranathan
S Machendranathan
Chairperson

Puja Jindal

Puja Jindal
Secretary

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विक्रय /सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सहायिकी	13	95,175,000.00	64,500,000.00
फीस/सदस्यता शुल्क	14	-	-
निवेश पर आय	15	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि से निधि में हस्तांतरित	16	-	-
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	17	-	-
अर्जित ब्याज	18	8,266.00	6,580.00
अन्य आय		-	-
तैयार माल और तैयार किया जा रहा माल के		-	-
स्टाक में वृद्धि/ (कमी)	19	-	-
अवधि से पूर्व आय (मूल्यहास आरक्षित)	8	-	22,250,576.00
कुल (क)		95,183,266.00	86,757,156.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	27,064,470.00	21,020,257.00
प्रशासनिक व्यय	21	30,588,127.63	57,904,555.58
मूल्यहास		-	-
अनुदान और सहायिकी पर व्यय	8	-	-
ब्याज	22	-	-
अवधि पूर्व व्यय (अचल परिसंपत्तियां बड़े खाते	23	-	-
डाली गयी)	8	-	48,806,755.00
अवधि पूर्व अन्य व्यय			5,521,066.00
कुल (ख)		57,652,597.63	133,252,633.58
आय से अधिक व्यय का शेष (क-ख)		37,530,668.37	(46,495,477.58)
विशेष आरक्षित में स्थानांतरण			
(प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
(क) मरम्मत और रखरखाव हेतु प्रावधान		-	-
(ख) इलेक्ट्रिसिटी हेतु प्रावधान		-	-
साधारण आरक्षित से/को स्थानांतरण			
अधिशेष बैलेंस/(घाटा)		37,530,668.37	(46,495,477.58)
कॉर्प्स/ पूंजी निधि में ले जाया गया।			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आकस्मिक	24		
देयताओं और खातों पर टिप्पणियां	25		

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अविभाज्य भाग हैं।

सम तारीख की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

जी एम आर एंड एसोसिएट्स के लिए

प्रबंधन की ओर से

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ आर एन 024434एन

हस्ताक्षर

स्टांप

मोहित गुप्ता

भागीदार

सदस्यता संख्या :

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13.10.2016



एस.एम.नाथन
एस मचेन्द्रनाथन
अध्यक्ष

पूजा जिंदल
पूजा जिंदल
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 1- कार्प्स/ पूंजीनिधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नागर विमानन मंत्रालय (आरंभिक बैंक खाता खोलने के लिए) वर्ष के आरंभ में शेष	सूची - ए (33,354,941.02)	- 13,140,536.56
जोड़े : पिछले वर्ष से संबंधित कार्प्स में समायोजन	सूची- क्यू -	-
घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित कार्प्स में समायोजन	सूची-आर -	-
आय और व्यय खाते से स्थानांतरण	37,530,668.37	(46,495,477.58)
वर्ष के अंत में शेष	4,175,727.35	(33,354,941.02)

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजी आरक्षित पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	- - -	- - -
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	- - -	- - -
3. विशेष आरक्षित पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	- - -	- - -
4. साधारण आरक्षित पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	- - -	- - -
कुल	-	-

अनुसूची 3- निर्धारित/अक्षय निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का आरंभिक शेष	-	-
(ख) निधियों में परिवर्धन	-	-
कुल (क+ख)	-	-
(ग) निधियों का उपयोग	-	-
कुल (ग)	-	-
वर्ष के अंत में शेष (क+ख-ग)	-	-



महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां
स्टॉप

स्थानीय लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा
स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार	(राशि- रूपए)	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) इस पर ब्याज और देय राशि	-	-
4. बैंक:	-	-
क) आवधिक ऋण	-	-
इस पर ब्याज और देय राशि	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
इस पर ब्याज और देय राशि	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड्स	-	-
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधार	(राशि- रूपए)	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक:	-	-
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	-	-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां
स्टांप

स्थानीय लेखा परीक्षा समिति/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा
स्थानीय लेखा परीक्षा अधीन



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 6 - आस्थागित ऋण और देनदारियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपस्कर और परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 7- मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) <u>मौजूदा देनदारियां</u>		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध लेनदार	-	-
क) माल के लिए	-	-
ख) अन्य	-	-
3. प्राप्त अग्रिम	-	-
4. उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-
क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
5. वैधानिक देनदारियां	-	-
क) अति देय	-	-
ख) अन्य	-	-
6. अन्य मौजूदा देनदारियां	-	-
क) शुल्क और कर	-	-
ख) वापसी योग्य प्रतिभूति जमा	-	-
कुल (क)	27,944,191.00	36,645,999.00
(ख) <u>प्रावधान</u>		
1. कराधान के लिए	-	-
2. उपदान	-	-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
क) मरम्मत और रखरखाव हेतु प्रावधान	-	-
ख) इलैक्ट्रिसिटी हेतु प्रावधान	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	27,944,191.00	36,645,999.00



सहत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और
स्टांप



स्थानीय लेखा परीक्षा समिति/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा
स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अनुसूची 31.03.2016 की स्थिति

अनुसूची- 8

विवरण	सकल ब्लाक				एस एल एम पर मूल्यहास				निवल ब्लाक		
	वर्ष की शुरुआत में सकल मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में विद्यमान परिसंपत्तियां के लिए मूल्यहास	वर्ष के दौरान परिवर्धित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास		वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के लिए कुल मूल्यहास	मौजूदा वर्ष में 31.03.2016 का	पिछले वर्ष में 31.03.2015 को
						वर्तमान	नया				
	ए	बी	सी	डी=(ए+बी+सी)	ई	एफ	जी	एच	आई=(ई+एफ+जी+एच)	जे=(डी-आई)	जे=(डी-आई)
भूमि और भवन											
लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
प्लांट और मशीनरी											
लिफ्ट	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
फर्नीचर और फिक्सचर											
फर्नीचर और फिटिंग	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
जेनरेटर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
बिजली उपकरण	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
कम्प्यूटर /बाह्य उपकरण											
कम्प्यूटर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
एच.पी.प्रिंटर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
लैपटॉप	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
स्कैनर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
सॉफ्टवेयर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
(विंडो, एंटी वायरस, आफिस)											
यूपीएस	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
हार्ड ड्राइव	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
प्रोजेक्टर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
कार्यालय के उपस्कर											
ऑयल हीटर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
फोटो कोपिएर मशीन	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
कागज कटर मशीन	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
पुस्तकालय की पुस्तकें	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
बुक स्कैनर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
कार्यालय उपस्कर	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00



स्टॉप

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को तुलन पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 9	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<u>निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश</u>		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
कुल	-	-
अनुसूची 10	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<u>अन्य निवेश</u>		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
कुल	-	-

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां
स्टांप



स्थानीय लेखा परीक्षा समिति/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा
स्थानीय लेखा परीक्षा के आधारे



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को आय और व्यय लेखे के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 11	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि (क) मौजूदा आस्तियां		
1. तालिकाएं :		
क) स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) व्यापार में स्टाक	-	-
निर्मित माल	-	-
बनाया जा रहा माल	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार	-	-
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)	-	-
4. बैंक में जमा राशि:		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	32,119,900.35	3,222,903.98
चालू खाते में (सिडिकेट बैंक)	-	-
जमा खाते में (मार्जिन मनी शामिल)	-	-
बचत खाते में	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
चालू खाते में	-	-
जमा खाते में	-	-
बचत खाते में	-	-
5. डाकघर बचत - खातें		
कुल (क)	32,119,900.35	3,222,903.98
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण :		
क) कर्मचारी	-	-
ख) उस सत्ता के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य सत्ताएं	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां :		1,615.00
क) पूंजी खातों पर (एएआई)	-	-
ख) अग्रिम भुगतान सूची एफ	-	56,511.00
ग) पूर्वसंदत्त (प्रीपेड) सूची एफ	-	-
व्यय या अन्य (एनआईसीएसआई)	-	-
घ) अन्य फेस्टिव अग्रिम सूची एफ	-	10,011.00
ड.) स्टाफ के विदेशी दौरे के लिए सूची एफ	-	-
अग्रिम अदायगी	-	-
3. उपार्जित आय:		
क) निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश पर अन्य	-	-
ग) ऋण और अग्रिम	-	-
घ) अन्य (प्राप्त न हुई देय आय सहित, अनुसूचित विनियामक प्राधिकरण द्वारा)	-	-
4. प्राप्य दावा:		
कुल (ख)	-	68,137.00
कुल (क+ख)	32,119,900.35	3,291,040.98



सहत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां
स्टॉप

स्थानीय लेखा परीक्षा समिति/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा
स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को आय और व्यय लेखे के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 12-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्कैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं प्रसंस्करण	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शदात्री सेवाएं	-	-
ग) एजेन्सी कमीशन और दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		

अनुसूची 13-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुदान/सहायिकी से आय		
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और प्राप्त सहायिकी)		
1) केन्द्रीय सरकार	95,175,000.00	64,500,000.00
2) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-
4) संस्था/कल्याणकारी निकाय	-	-
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
कुल	95,175,000.00	64,500,000.00

अनुसूची 14-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
फीस/अभिदानों से आय		
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक फीस/ सदस्यता शुल्क	-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम फीस	-	-
4) परामर्शदात्री फीस	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		



महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां
स्टांप

स्थानीय लेखा परीक्षा प्रतिनिधि/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा

स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को आय और व्यय लेखे के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 15	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<u>निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय का निधि में अन्तरण</u>		
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बांड्स/डिबेंचर	-	-
2. लाभांश		
क) शेयर पर	-	-
ख) मयुचअल फंड सिक्योरिटी पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

निर्धारित/अक्षय निधियों को अन्तरित

अनुसूची 16	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<u>रायल्टी प्रकाशन आदि से आय</u>		
1) रायल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशनों से आय	-	-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<u>अर्जित ब्याज</u>		
1. सावधि जमा राशियों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) संस्थाओं के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) संस्थाओं के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी /स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदार और अन्य प्राप्त राशियों पर ब्याज	-	-
कुल	-	-

नोट:- टीडीएस को दर्शाया जाए।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां
स्टांप



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को आय और व्यय लेखे के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 18	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से अधिग्रहण, या निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्तियां		
3. विविध सेवाओं के लिए फीस (निविदा फीस)	8,266.00	6,580.00
4. विविध आय	-	-
कुल	8,266.00	6,580.00

अनुसूची 19	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्टॉक में तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी		
क) क्लोजिंग स्टॉक		
- निर्मित माल	-	-
- तैयार किया जा रहा माल	-	-
ख) घटाएं - आरंभिक स्टॉक		
- निर्मित माल	-	-
- तैयार किया जा रहा माल	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क -ख)	-	-

अनुसूची 20	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी	26,792,581.00	20,489,042.00
ख) भत्ते और बोनस	24,178.00	102,632.00
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
ड.) विविध व्यय (मानदेय)	-	105,000.00
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर खर्च	-	-
छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)/चिकित्सा व्यय	247,711.00	323,583.00
कुल	27,064,470.00	21,020,257.00

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां
स्टांप

स्थानीय लेखा परीक्षा समिति/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा
स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को आय और व्यय लेखे के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 21	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
क. बिजली और ऊर्जा	-	-
ख. मरम्मत और अनुरक्षण	-	-
ग. किराया, दर और कर	सूची के 5,243,360.00	7,299,019.00
घ. डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार	सूची एम 2,245,501.00	1,087,612.00
ड. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	-	481,652.00
च. यात्रा और वाहन खर्च	सूची एन 814,320.00	2,189,183.00
छ. वेब डिजाईन और विकास व्यय	-	1,072,238.00
ज. अभिदान व्यय	-	563,809.58
झ. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक	-	-
ञ. कार्यालय व्यय, कम्प्यूटर, पेंटी, एएमसी प्रभार, जलपान, पुस्तके	सूची पी 25,891,019.63	9,528,590.00
ट. व्यावसायिक प्रभार	सूची ओ -5,576,159.00	28,132,873.00
ठ. विज्ञापन और प्रचार	-	330,386.00
ड. अन्य (जनशक्ति, हाऊसकिपिंग और सुरक्षा, कार्यालय व्यय आदि)	सूची पी(II) 1,970,086.00	7,219,193.00
कुल	30,588,127.63	57,904,555.58

अनुसूची 22	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुदान/सहायिकी आदि पर व्यय		
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकी	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 23	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज		
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां
स्टांप

समान्य लेखापरीक्षा समिति/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा
स्वीकृत लेखापरीक्षा के अधीन



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के खातों के हिस्से की अनुसूची अनुसूची -24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा रूपांतरण

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक अन्यथा लेखांकन की प्रोद्घवन विधि पर कहा नहीं गया हो।

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. वस्तु सूची मूल्यांकन | लागू नहीं |
| 3. निवेश | लागू नहीं |
| 4. उत्पाद शुल्क | लागू नहीं |

5. अचल परिसंपत्ति

5.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से अचल परिसंपत्तियां खरीदी जाती हैं। लेखा मानक 12 के अनुसार परिसंपत्ति की खरीद के वर्ष में परिसंपत्ति को आय और व्यय खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

5.2 गैर- मौद्रिक अनुदान के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्ति के संबंध में (कॉर्प्स निधि को छोड़कर) पूंजी आरक्षित के लिए तदनुसार क्रेडिट द्वारा कथित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

6 मूल्यहास

6.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से खरीदी गई परिसंपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता।

6.2 आयकर की दरों के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्ति पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है और तदनुसारी अनुदान को पूंजी आरक्षित खातों में से आय और व्यय खाते में डाला जाता है। 5,000/- रुपए या इससे कम की लागत की परिसंपत्ति का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

7. विविध व्यय

शून्य

8. बिक्री के लिए लेखांकन

लागू नहीं

9 सरकारी अनुदान / सब्सिडी

9.1 परियोजना की स्थापना की पूंजी लागत के लिए योगदान के रूप में सरकारी अनुदान पूंजी आरक्षित के रूप में माना जाता है।

9.2 अधिग्रहित की गई विशिष्ट अचल परिसंपत्ति के संबंध में अनुदान संबंधित परिसंपत्ति की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

सरकारी अनुदान/सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर लेखांकित की जाती है।



10 विदेशी मुद्रा लेन देन

10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन, मुद्रा लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर किए जाते हैं।

10.2 वर्तमान परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और मौजूदा देनदारियों को कथित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित करते हैं। अचल परिसंपत्ति से संबंधित परिणामी लाभ/हानि को अचल परिसंपत्ति की लागत से समायोजित किया जाता है और अन्य मामलों में राजस्व से समायोजित किया जाता है।

11 पट्टा(लीज)

11.1 लीज डीड एयर इंडिया से की गई है और दिनांक 6 अगस्त, 2013 के एफ संख्या ऐरा/10015/आफिस रेंट एयर इंडिया/2012 द्वारा जारी की गई।

12 सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। एफ.आर. 115(क) और 115(ख) के उपबंधों के अनुसार इन अधिकारियों /कर्मचारियों से संबंधित छुट्टी अंशदान और पेंशन अंशदान बनाया गया है और वित्त वर्ष 2015-16 तक इसकी अदायगी भी कर दी गई है। इस राशि को बाद में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल संगठनों के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है।

12.2 अध्यक्ष, प्राधिकरण के सदस्य और सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 1.1.2014 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए हैं वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान के पात्र हैं। ऐसे पात्र अधिकारियों के लिए नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान की मार्च, 2016 तक अदायगी कर दी गई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 13/10 /2016

पूजा जिंदल
पूजा जिंदल
सचिव

एस.एम.नाथन
एस मचेन्द्रनाथन
अध्यक्ष



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के खातों के हिस्से की अनुसूची
अनुसूची 25 - खातों पर आकास्मिक देनदारियां और टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं शून्य
2. पूंजी प्रतिबद्धताएं शून्य
3. लीज दायित्व : लीज किराए को अंतिम रूप दिया गया है।
4. वर्तमान परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन के विचार में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों का मूल्य लेन-देन के सामान्य क्रिया-कलापों में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह बैलेंस शीट में दर्शायी करार की गई राशि के लगभग बराबर होता है।

5. कराधान:

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई भी आय कर योग्य नहीं है, इसलिए आयकर के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
6.1 सीआईएफ आधार पर हिसाब लगाए गए आयातों का मूल्य	शून्य	शून्य
6.2 विदेशी मुद्रा में खर्च		
क) यात्रा	शून्य	शून्य
ख) वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज की अदायगी	शून्य	शून्य
ग) अन्य व्यय	शून्य	शून्य
-बिक्री पर कमीशन	शून्य	शून्य
-कानूनी और व्यावसायिक खर्च	शून्य	शून्य
-विविध व्यय	शून्य	शून्य

6.3 आय:

एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
7. लेखा परीक्षकों को फीस:		
लेखा परीक्षकों के लिए	1,10,000.00	1,10,000.00
-कराधान मामले		
-प्रबंधन सेवाओं के लिए		
-प्रमाणीकरण के लिए		
अन्य	शून्य	शून्य



8. संलग्न की गई अनुसूची 1 से 25 तक दिनांक 31.3.2016 को समाप्त वर्ष की बैलेंस शीट और उसी तारीख को समाप्त आय और व्यय के खाते का अविभाज्य भाग हैं।

9. पिछले वर्ष की रकमों का पुनः ग्रुप बनाया गया और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 13/10 /2016



पूजा जिंदल
पूजा जिंदल
सचिव

एस.एम.नाथन
एस मचेन्द्रनाथन
अध्यक्ष

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा (ऑडिट) प्रतिवेदन।

हमने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के नियम 35 (2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की संलग्न बैलंस शीट और आय/व्यय का लेखा/प्राप्तियां तथा अदायगियों का लेखा का ऑडिट किया है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी ऐरा प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार देने की है।

2. पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा के मानदंडों और प्रस्तुत करने के मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखा प्रणालियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और उपयुक्तता) और कार्यकुशलता तथा कार्यनिष्पादन के पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दी जाती हैं।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानदंडों में यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षा की योजना बनायी है और लेखा परीक्षा की है कि क्या इन वित्तीय ब्यौरों में कोई बड़ी कमी (मैट्रीरियल मिसस्टेटमेंट) तो नहीं है। इसमें जांच के आधार पर परीक्षण, राशियों के समर्थन में कागजात तथा वित्तीय ब्यौरों की लेखा परीक्षा शामिल है। इस लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए आकलनों तथा वित्तीय ब्यौरों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम यह मानते हैं कि हमारे विचार, हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के आधार पर हैं।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं :

- (i) हमने सभी प्रकार की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक है।
- (ii) रिपोर्ट के लिए देखी गई बैलंस शीट और आय और व्यय का लेखा/प्राप्ति और अदायगी का लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्वरूप में ही रखा गया है।
- (iii) ऐसी लेखा बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से स्पष्ट होता है कि ऐरा अधिनियम, 2008 के सैक्शन 35(1) के अंतर्गत अपेक्षित रूप से ऐरा द्वारा लेखा बहियों और अन्य संबद्ध रिकार्ड को रखा जाता है।
- (iv) हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि :

लेखों पर टिप्पणियां:

क.

बैलंस शीट

कॉर्प्स/पूँजी निधि और देनदारियां:

वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची-7) – 2.79 करोड़ रुपए

वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान ऐरा द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों से ली गई सेवाओं के लिए 8.31 करोड़ रुपए के स्थापना खर्च (वेतन, मजदूरी और अन्य लाभ) को उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 6.41 करोड़ रुपए पूर्व अवधि स्थापना व्यय में कम दिखाए हैं, वर्ष 2015-16 के लिए स्थापना व्यय में 1.90 करोड़ रुपए की कम राशि दिखाई गई है और 8.31 करोड़ रुपए "आय से अधिक खर्च" में कम दिखाए हैं। इस मुद्दे को वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए ऐरा के लेखों में भी अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाया गया था। इसके बावजूद कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख.

आय और व्यय लेखा

आय

अनुदान/सब्सिडी: (अनुसूची-13) – 9.52 करोड़ रुपए

नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 31 मार्च, 2015 के स्वीकृति पत्र संख्या ए.वी. 23014/001/2010-एडी (वाल्युम-III) के द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई 0.97 करोड़ रुपए की राशि इसमें शामिल है। इसे पूर्व अवधि आय के रूप में बुक किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 0.97 करोड़ रुपए की पूर्व अवधि आय कम दिखाई गई है और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इतनी ही राशि की आय को अधिक दिखाया गया है।

उपरोक्त मुद्दा वर्ष 2014-15 के लिए ऐरा के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी 'ख' द्वारा शामिल किया गया था। परंतु कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग.

सामान्य

सभी स्वायत्त निकायों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.9.2011 को कार्यालय ज्ञापन जारी करके सूचित किया गया था कि लेखाकरण वर्ष के समाप्त होने के पश्चात 3 माह के भीतर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को लेखों प्रस्तुत कर दें, परंतु ऐरा ने 6 माह से अधिक देरी के पश्चात 2 जनवरी, 2017 को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अपने लेखों प्रस्तुत किए।

घ.

सहायता अनुदान:

वर्ष 2015-16 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 8.55 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1.16 करोड़ रुपए के अप्रयुक्त अनुदान का अथ शेष (Opening Balance) (वर्ष 2014-15 के लिए 0.17 करोड़ रुपए वेतन शीर्ष के अधीन और 0.99 करोड़ रुपए गैर वेतन शीर्ष के अधीन) था। 9.71 करोड़ रुपए (8.55 करोड़ रुपए + 1.16 करोड़ रुपए) के कुल अनुदान में से, ऐरा ने 6.60 करोड़ रुपए खर्च किए और दिनांक 31 मार्च, 2016 को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में 3.11 करोड़ रुपए (वर्ष 0.58 करोड़ रुपए वेतनशीर्ष के अधीन और 2.53 करोड़ रुपए गैर वेतनशीर्ष के अधीन) का शेष बचा।

(v)

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलंस शीट और आय-व्यय का खर्च का लेखा/प्राप्ति और अदायगी का लेखा जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, लेखा की बहियों के अनुसार है।

(vi)

हमारे विचार में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण व उपर्युक्त दर्शित महत्वपूर्ण मामले इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मुद्दों के रहते हुए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा प्रणालियों के अनुरूप है तथा यह सही स्थिति को दर्शाते हैं :

- क) यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के मामलों से संबंधित दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बैलंस शीट से संबंधित है।
- ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बेशी (Surplus) के आय और व्यय के लेखों से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 मई, 2017

(नीलेश कुमार साह)
प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ कॉमर्शियल ऑडिट
एंड एक्स-ऑफिसिओ मेम्बर, ऑडिट बोर्ड I,
नई दिल्ली

अनुबंध

[वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट]

1	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ऐरा की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप है।
3	अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली	टेस्ट चैक के दौरान यह पता चला है कि वित्त वर्ष 2015-16 में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।
4	वस्तु सूची (इनवेन्ट्री) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली	कोई भी वस्तु सूची नहीं थी।
5	सांविधिक देयताओं की अदायगी में नियमितता	टेस्ट चैक के दौरान यह पता चला है कि वित्त वर्ष 2015 - 16 के दौरान ऐरा ने आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर आयकर प्राधिकरण को टीडीएस जमा नहीं किया था।

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर।

पैरा. सं.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्राधिकरण का उत्तर
क	<p>बैलंस शीट कॉर्प्स/पूँजी निधि और देनदारियां: वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची-7) – 2.79 करोड़ रुपए</p> <p>वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान ऐरा द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों से ली गई सेवाओं के लिए 8.31 करोड़ रुपए के स्थापना खर्च (वेतन, मजदूरी और अन्य लाभ) को उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 6.41 करोड़ रुपए पूर्व अवधि स्थापना व्यय में कम दिखाए हैं, वर्ष 2015-16 के लिए स्थापना व्यय में 1.90 करोड़ रुपए की कम राशि दिखाई गई है और 8.31 करोड़ रुपए "आय से अधिक खर्च" में कम दिखाए हैं। इस मुद्दे को वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए ऐरा के लेखों में भी अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाया गया था। इसके बावजूद कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>प्राधिकरण एक नव निर्मित संगठन है और इसके मुख्य कार्य में टैरिफ विनियमन है जो विशेष कार्य है। चूंकि कि एएआई कर्मिकों को टैरिफ निर्धारण का अनुभव है, इसलिए नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 13-05-2009 के अपने पत्र में यह निर्णय किया था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अधिकारियों/स्टाफ को ऐरा में प्रारंभ में छह महीने की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए लोन आधार पर पोस्ट किया जाए, जिसे बाद में जून, 2011 तक बढ़ा दिया गया था। प्राधिकरण पूरी तरह से नागर विमानन मंत्रालय के बजट के तहत अनुदान सहायता के माध्यम से वित्त पोषित है और आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस प्रकार ऐरा के पास एएआई को जनशक्ति की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं हैं। तदनुसार एक प्रस्ताव पहले ही नागर विमानन मंत्रालय को एएआई से लोन के आधार पर जनशक्ति नियुक्त करने के लिए और वास्तविक आधार पर एएआई को जनशक्ति की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा जा चुका है। सरकार द्वारा प्रस्ताव पर सहमत हो जाने पर और अतिरिक्त निधि प्रदान किए जाने पर प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को ऐरा में काम कर रही उसकी जनशक्ति की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। ऐसे समय तक प्राधिकरण की खाता बही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए वेतन आदि का प्रावधान करने से प्राधिकरण का अतिरिक्त बजटीय घाटा होगा और इसकी अग्रनयन (Carryover) देनदारियां बढ़ जाएंगी।</p>

ख.	<p>आय और व्यय आय अनुदान और सन्निधि:(अनुसूची-13) – 6.45 करोड़ रुपए</p>	
	<p>नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 31 मार्च, 2015 के स्वीकृति पत्र संख्या ए.वी. 23014/001/2010-एडी (वालयुम-III) के द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई 0.97 करोड़ रुपए की राशि इसमें शामिल है। इसे पूर्व अवधि आय के रूप में बुक किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 0.97 करोड़ रुपए की पूर्व अवधि आय कम दिखाई गई है और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इतनी ही राशि की आय को अधिक दिखाया गया है।</p> <p>उपरोक्त मुद्दा वर्ष 2014-15 के लिए ऐरा के लेखे पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी 'ख' द्वारा शामिल किया गया था। परंतु कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, 96.75 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की आर ई (R E) में व्यवस्था की गई। हालांकि रुपए 96.75 लाख के लिए स्वीकृति पत्र 31 मार्च 2015 को जारी किया गया था। इस राशि को प्राधिकरण के बैंक खाते में 2 अप्रैल 2015 को क्रेडिट किया गया था। इस प्रकार 2015-16 में 96.75 लाख रुपये की राशि को हिसाब में लिया गया था। फिर भी लेखापरीक्षा की टिप्पणी को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।</p>
ग.	सामान्य	
	<p>सभी स्वायत्त निकायों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.9.2011 को कार्यालय ज्ञापन जारी करके सूचित किया गया था कि लेखाकरण वर्ष के समाप्त होने के पश्चात 3 माह के भीतर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को लेखे प्रस्तुत कर दें, परंतु ऐरा ने 6 माह से अधिक देरी के पश्चात 2 जनवरी, 2017 को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए।</p>	<p>ऐरा में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण, उपलब्ध अधिकारियों के बीच काम का पुनः आवंटन किया गया था जिसके कारण प्रावधानों और देनदारियों के विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इससे खातों के मसौदा वार्षिक विवरण की तैयारी में देरी हुई थी। चार्टर्ड एकाउंटेंट की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर आगे आवश्यक सुधार मसौदा वार्षिक लेखा विवरण में किए गए थे। इस प्रकार वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत करने में देरी हुई थी। लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली है और प्राधिकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत सावधानी रखेगा।</p>

घ	<p>सहायता अनुदान:</p> <p>वर्ष 2015-16 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 8.55 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1.16 करोड़ रुपए के अप्रयुक्त अनुदान का अथ शेष (Opening Balance) (वर्ष 2014-15 के लिए 0.17 करोड़ रुपए वेतन शीर्ष के अधीन और 0.99 करोड़ रुपए गैर वेतन शीर्ष के अधीन) था। 9.71 करोड़ रुपए (8.55 करोड़ रुपए + 1.16 करोड़ रुपए), के कुल अनुदान में से, ऐरा ने 6.60 करोड़ रुपए खर्च किए और दिनांक 31 मार्च, 2016 को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में 3.11 करोड़ रुपए (वर्ष 0.58 करोड़ रुपए वेतनशीर्ष के अधीन और 2.53 करोड़ रुपए गैर वेतनशीर्ष के अधीन) का शेष बचा।</p>	<p>वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, ऐरा ने 970.71 लाख (वित्त वर्ष 2014-15 से संबंधित 115.71 लाख रुपये का अप्रयुक्त अनुदान सहित) की उपलब्ध निधियों में से 659.64 लाख रुपए खर्च किए। इस प्रकार वित्त वर्ष 2015-16 के अंत में 311.07 लाख रुपए का अप्रयुक्त अनुदान शेष बचा।</p>
---	---	---

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध		
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ऐरा की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।	वर्ष 2015-16 के लिए ऐरा के लेखों की आंतरिक लेखा-परीक्षा, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई थी और पिछले वर्ष की ऑडिट के दौरान नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार अपेक्षित सभी सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई हैं।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप है।	ऐरा में सीमित कर्मचारियों के साथ प्राधिकरण ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सही तरह से रखने की कोशिश करी।
3.	अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली: टेस्ट चैक के दौरान यह पता चला है कि वित्त वर्ष 2015-16 में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।	अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वित्त वर्ष 2015-16 के लिए किया गया था
4.	वस्तु सूची (इनवेन्ट्री) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली: कोई भी वस्तु सूची नहीं थी।	ऐरा जीएफआर-2017 के प्रावधानों के अनुसार वस्तुसूची के रखरखाव की प्रक्रिया में है।
5.	सांविधिक देयताओं की अदायगी में नियमितता : टेस्ट चैक के दौरान यह पता चला है कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ऐरा ने आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर आयकर प्राधिकरण को टीडीएस जमा नहीं किया था।	प्राधिकरण, विक्रेताओं के लिए किए गए भुगतान और ऐरा के कर्मचारियों को भुगतान किए वेतन पर कर (टैक्स) काट रहा है। महीने में कटौती किए गए करों को अगले महीने के 7वें दिन से पहले सरकारी ट्रेजरी में जमा किया जा रहा है। प्रत्येक तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न निर्धारित समय सीमा के भीतर भी जमा किया जा रहा है। राशि पर कर, जो वित्तीय वर्ष के समापन पर नहीं कटा है, को अगले वित्तीय वर्ष में किए गए भुगतान के समय काट लिया जाता है और सरकार के पास जमा किया जाता है।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक

विनियामक प्राधिकरण

(2009 में स्थापित)

**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY
AUTHORITY OF INDIA**

(Established in 2009)

वार्षिक लेखा विवरण

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

2015-2016

Objective & Function

The Airports Economic Regulatory Authority (AERA) is a Statutory body constituted under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008(27 of 2008) notified vide Gazette Notification dated 5th December 2008. The AERA was established by the Government vide its notification no. GSR 317(E) dated 12.05.2009 with its head office at Delhi.

The Statutory functions of the AERA as enshrined in the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 are as below:

(a) To determine the tariff for the aeronautical services taking into consideration-

- (i) the capital expenditure incurred and timely investment in improvement of airport facilities;
- (ii) the service provided, its quality and other relevant factors;
- (iii) the cost for improving efficiency;
- (iv) economics and viable operation of major airports;
- (v) revenue received from services other than the aeronautical services;
- (vi) the concession offered by the Central Government in any agreement or memorandum of understanding or otherwise;
- (vii) any other factor which may be relevant for the purposes of this Act:

Provided that different tariff structure may be determined for different airports having regard to all or any of the above considerations specified at sub clause(i) to (vii);

(b) to determine the amount of the development fees in respect of major airports;

(c) to determine the amount of the passengers service fee levied under rule 88 of the Aircraft Rules, 1937 made under the Aircraft Act, 1934;

(d) to monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by the Central Government or any authorized by it in this behalf;

(e) to call for such information as may be necessary to determine the tariff under clause(a);

(f) to perform such other functions relating to tariff, as may be entrusted to it by the Central Government or as may be necessary to carry out the provisions of this Act.

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

(AMOUNT Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS / CAPITAL FUND	1	4,175,727.35	13,140,536.56
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUND	3	-	-
SECURED LOANS BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	27,944,191.00	36,645,999.00
		32,119,918.35	49,786,535.56
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	18.00	18.00
INVESTMENT-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND	9	-	-
INVESTMENT-OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	32,119,900.35	3,291,040.98
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		-	-
(To the extent not written off or adjusted)		-	-
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME	1	-	46,495,477.58
		32,119,918.35	49,786,536.56
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
as per our Review report of even date

For G M R & Associates

Chartered Accountants

FRN: 024434N

Mohit Gupta

Partner

Membership No.: 517283

Place: New Delhi

Date: 13.10.2016



On behalf of management

S. Machendranathan

S Machendranathan
Chairperson

Puja Jindal

Puja Jindal
Secretary

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016


(AMOUNT Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
INCOME FROM SALES / SERVICES	12	-	-
GRANTS / SUBSIDIES	13	95,175,000.00	64,500,000.00
FEES / SUBSCRIPTIONS	14	-	-
INCOME FROM INVESTMENTS	15	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUND TRANSFERRED TO FUND		-	-
INCOME FROM ROYALTY ,PUBLICATION ETC.	16	-	-
INTEREST EARNED	17	-	-
OTHER INCOME	18	8,266.00	6,580.00
INCREASE /(DECREASE) IN STOCK FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	19	-	-
PRIOR PERIOD INCOME (DEPRECIATION RESERVE)	8	-	22,250,576.00
TOTAL (A)		95,183,266.00	86,757,156.00
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	27,064,470.00	21,020,257.00
ADMINISTRATIVE EXPENSES	21	30,588,127.63	57,904,555.58
DEPRECIATION	8	-	-
EXPENDITURE ON GRANTS AND SUBSIDIES	22	-	-
INTEREST	23	-	-
PRIOR PERIOD EXPENSES (FIXED ASSETS WRITTEN OFF)	8	-	48,806,755.00
PRIOR PERIOD OTHER EXPENSE		-	5,521,066.00
TOTAL (B)		57,652,597.63	133,252,633.58
Balance being excess of Expenditure over Income (A-B)		37,530,668.37	(46,495,477.58)
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
a) Provision for Repair & Maintenance		-	-
b) Provision for Electricity		-	-
Transfer to / from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS /CAPITAL FUND		37,530,668.37	(46,495,477.58)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
as per our Review report of even date

For G M R & Associates
Chartered Accountants

Firm Registration No. 024434N


Mohit Gupta
Partner

Membership No.: 517283

Place: New Delhi

Date: 13.10.2016



On behalf of management


S Machendranathan
Chairperson



Puja Jindal
Secretary

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Opening Balances			I. Expenses		
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses	19,871,155.00	18,488,735.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	41,669,712.63	41,303,818.58
i) In current accounts	3,222,903.98	4,739,162.56	Less: Prepaid expenses of last year		
ii) In deposit accounts			Less: Advance Adjustment of Airport Authority of India		
iii) Savings accounts					
iv) Imprest money					
II. Grants Received			II. Payment made against funds for various projects		
a) From Government of India	95,175,000.00	64,500,000.00	(Name of the fund for project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
b) From State Government					
c) From other sources (details) (grant for capital & revenue exp to be show separately)					
III. Income on Investments from			III Investments and deposits made		
a) Earmark/Endow. Funds			a) Out of Earmark/Endowment funds		
b) Own funds (oth. investment)			b) Out of Own Funds (Investments- Others)		
IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work -in-progress		
a) On Bank Deposits			a) Purchase of Fixed Assets		
b) Loans, Advances etc.			b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
			c) Towards work in progress		
V. Other Income (Specify)	8,266.00	6,580.00	V. Refund of surplus money/Loans		
			a) To the Government of India		
			b) To the State Government		
			c) To the Other providers of fund		
V. Other Receipt (Specify)			VI. Finance Charges		
Security deposit from Bedi & bedi	0.00		a) Bank Charges		9,949.00
VI. Amount Borrowed			b) other charges	37,332.00	4,195.00
VII. Any other receipts (give details)					
Received from Ministry of Civil Aviation for Bank Account opening			VII. Other Payments (Specify)		
			a) Duties and Taxes	6,669,233.00	6,268,193.00
VIII. Other payables	1,961,163.00	51,552.00	VIII. Closing Balances		
			a) Cash In Hand		
			b) Bank Balances	32,119,900.35	3,222,903.98
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings accounts		
	100,367,332.98	69,297,294.56		100,367,332.98	69,297,294.56

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
as per our Review report of even date

For G M R & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 024434N
Mohit Gupta
Mohit Gupta
Partner
Membership No.: 517283
Place: New Delhi



On behalf of management

S. Machendranathan
S Machendranathan
Chairperson

Puja Jindal

Puja Jindal
Secretary

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 1- CORPUS / CAPITAL FUND		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Ministry of Civil Aviation	List A	-	-
(Towards initial bank a/c opening)			
Balance as at beginning of the year		(33,354,941.02)	13,140,536.56
Add : Adjustments to Corpus relating to previous year	List Q	-	-
Less : Adjustments to Corpus relating to previous year	List R	-	-
transferred from the Income and Expenditure Account		37,530,668.37	(46,495,477.58)
BALANCE AT THE YEAR END		4,175,727.35	(33,354,941.02)

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Capital Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
2. Revaluation Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
3. Special Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
4. General Reserve		
As Per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Opening Balance of Funds	-	-
b) Additions to the Funds	-	-
Total (a+b)	-	-
c) Utilisation of Funds	-	-
Total (C)	-	-
BALANCE AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	-

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a) Terms Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks :		
a) Terms Loans	-	-
Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-
Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and agencies	-	-
6. Debentures and bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Note : Amount due within one year

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks :		
a) Terms Loans	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-
5. Other Institutions and agencies	-	-
6. Debentures and bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Note : Amount due within one year

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES :	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Acceptances secured by hypothecation of capital Equipment and Assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-
Note : Amount due within one year		

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A) CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors :		
a) For Goods	-	-
b) Others	-	-
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on :		
a) Secured Loans/ borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/ borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities :		
a) Over due	-	-
b) Others	-	-
6. Other Current Liabilities		
a) Duties & Taxes	870,414.00	808,357.00
b) Refundable Security Deposit	-	180,000.00
TOTAL (A)	27,944,191.00	36,645,999.00
B) PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Other (Specify)	-	-
a) Provision for Repair & Maintenance	-	-
b) Provision for Electricity	-	-
TOTAL (B)	-	-
TOTAL (A+B)	27,944,191.00	36,645,999.00

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.




Airports Economic Regulatory Authority of India

Depreciation Schedule as Per Income Tax Act as on 31.03.2016

Schedule-8

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION ON SLM					NET BLOCK	
	Gross Valuation as at beginning	additions during the year	Deduction during the year	Cost / Valuation as at the end year	Depreciation for assets existing at the beginning of the year	Depreciation on assets added during the year		On Deductions during the year	Total depreciation for the year	As at the current year as on 31.03.2016	As at the previous year as on 31.03.2015
						Existing	New				
	A	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)	J=(D-I)	J=(D-I)
Land and Building											
Leasehold Improvement	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Plant & Machine											
Lift	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Furniture & Fixtures											
Furniture & Fittings	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Generator	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Electrical Installation	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Computer/ Peripherals											
Computer	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
HP Printer	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Laptops	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Scanner			-	-	-			-	-	-	-
Software (Window,Anti Virus, office)	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
UPS	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Hard Drive	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Projector	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Office Equipment											
Oil Heater	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Photo Copier Machines	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Paper Cutter machines	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Library Books	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Book Scanner	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
Office Equipment	1.00		-	1.00	-			-	-	1.00	1.00
	18.00	-	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00	18.00



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 9	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and bonds	-	-
5. Subsidiaries and joint ventures	-	-
6. Others (to be Specified)	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 10	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INVESTMENTS OTHERS		
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and bonds	-	-
5. Subsidiaries and joint ventures	-	-
6. Others (to be Specified)	-	-
TOTAL	-	-

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts

Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2016

		(AMOUNT Rs.)	
SCHEDULE 11		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</u>			
A.) CURRENT ASSETS			
1. Inventories :			
a) Stores and Spares		-	-
b) Loose Tools		-	-
c) Stock in Trade			
Finished Goods		-	-
Work-in-Progress		-	-
Raw Materials		-	-
2. Sundry Debtors :			
a) Debts Outstanding for a period exceeding Six months		-	-
b) Others		-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and Imprest)		-	-
4. Bank Balances :			
a) With Schedule Bank			
On Current Accounts (Syndicate Bank)		32,119,900.35	3,222,903.98
On Deposit Accounts (includes margin money)		-	-
On Savings Accounts		-	-
b) With non Schedule Bank			
On Current Accounts		-	-
On Deposit Accounts (includes margin money)		-	-
On Savings Accounts		-	-
5. Post Office Savings Accounts		-	-
TOTAL (A)		32,119,900.35	3,222,903.98
B.) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS			
1. LOANS :			
a) Staff		-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		-	-
c) Other (Specify)		-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind for value to be received :			1,615.00
a) On Capital Account (Airport Authority of India)			
b) Prepayments		-	56,511.00
c) prepaid exp. Or Others (NCSI)		-	-
d) Others festive advance		-	10,011.00
e) Advance payment for Foreign Tour (Staff)		-	-
3. Income Accrued :			
a) On Investments from Earmarked / Endowment Fund		-	-
b) On Investment - Others		-	-
c) On Loans and Advances		-	-
c) Others		-	-
(includes income due unrealized Rs.....)		-	-
4. Claim Receivable :		-	-
TOTAL (B)		-	68,137.00
TOTAL (A+B)		32,119,900.35	3,291,040.98

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2016

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 12	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME FROM SALES / SERVICES		
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods	-	-
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2. Income from Services		
a) Labour & Processing Charges	-	-
b) Professional / Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment / property)	-	-
e) Other (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 13	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME GRANTS / SUBSIDIES		
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1. Central Government	95,175,000.00	64,500,000.00
2. State Government (s)	-	-
3. Government Agencies	-	-
4. Institutions / Welfare Bodies.	-	-
5. International Organisations	-	-
TOTAL	95,175,000.00	64,500,000.00

SCHEDULE 14	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME FROM FEES / SUBSCRIPTIONS		
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees / Subscriptions	-	-
3. Seminar / Program Fees	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts

Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2016

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 15	Current Year	Previous year
INCOME FROM INVESTMENTS		
(Income on investment from Earmarked / Endowment fund transferred to fund)		
1. Interest		
a) On Government Securities	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-
2. Dividend		
a) On Share	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-
3. Rents	-	-
4. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

TRANSFERRED TO EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS


SCHEDULE 16	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.		
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publications	-	-
3. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 17	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INTEREST EARNED		
1. On Term Deposits :		
a) With Schedule Banks	-	-
b) With non-Schedule Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2. On Savings Accounts :		
a) With Schedule Banks	-	-
b) With non-Schedule Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3. On Loans :		
a) Employees / Staff	-	-
b) Others	-	-
4. Interest on Debtors and other Receivables	-	-
TOTAL	-	-

Note -Tax Deducted at sources to be indicated

Significant Accounting Policies

Contingent Liabilities and Notes on Accounts




Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.



SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2016

SCHEDULE 18		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OTHER INCOME			
1. Profit on sale / disposal of assets :			
a) Owned assets		-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		-	-
2. Exports incentives realized		-	-
3. Fees for Miscellaneous Services (Tender Fees)	List G	8,266.00	6,580.00
4. Miscellaneous Income		-	
TOTAL		8,266.00	6,580.00

SCHEDULE 20		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>ESTABLISHMENT EXPENSES</u>			
a) Salaries and Wages	List H	26,792,581.00	20,489,042.00
b) Allowances and Bonus	List I	24,178.00	102,632.00
c) Contribution to Provident Fund			
d) Contribution to other fund (Specify)			
e) Miscellaneous Expenses (Honorarium)	List J	-	105,000.00
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal benefits		-	-
g) Others (Specify) / medical exp.		247,711.00	323,583.00
TOTAL		27,064,470.00	21,020,257.00



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2016

(AMOUNT Rs.)		
SCHEDULE 21	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
a) Electricity and Power	-	-
b) Repair and maintenance	-	-
c) Rent, Rates and Taxes	5,243,360.00	7,299,019.00
d) Postage, Telephone and Communication charges	2,245,501.00	1,087,612.00
e) Printing and stationery	-	481,652.00
f) Travelling and Conveyance Expenses	814,320.00	2,189,183.00
g) Web Design & Development Expenses	-	1,072,238.00
h) Subscription Expenses	-	563,809.58
i) Auditors Remuneration	-	-
j) Office expenses, computer,pantry,Amc chgs,refreshment, books	25,891,019.63	9,528,590.00
k) Professional Charges	-5,576,159.00	28,132,873.00
l) Advertisement and publicity	-	330,386.00
m) Others (men power , House keeping & Security office Exp. Etc)	1,970,086.00	7,219,193.00
	30,588,127.63	57,904,555.58

SCHEDULE 22	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
a) Grants given to Institutions / Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 23	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INTEREST		
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (Including Bank Charges)	-	-
c) Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.3.2016

SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVERSION

The financial statements are prepared on the basis of history cost convention, on the accrual method of accounting unless otherwise stated.

2. INVENTORY VALUATION Not Applicable

3. INVESTMENTS Not Applicable

4. EXCISE DUTY Not Applicable

5. FIXED ASSETS

5.1 Fixed Assets are purchased out of Grants in aid received from government. According to Accounting Standard 12, the assets are transferred to Income and Expenditure Account in the year of purchase of asset.

5.2 Fixed assets received by way of non-monetary grants (other than towards the corpus fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital reserve.

6. DEPRECIATION

6.1 No Depreciation is charged on the assets purchased from the Grants in aid received from Government.

6.2 The depreciation is charged on the Fixed assets received by way of non-monetary grants as per rates of income tax act and corresponding grant is also credited to income and expenditure account from capital reserve. Assets costing Rs 5,000/- or less are fully depreciated in the year of acquisition.

7. MISCELLANEOUSEXPENSES

NIL



8 ACCOUNTING FOR SALES

Not Applicable

9 GOVERNMENT GRANTS / SUBSIDIES

- 9.1 Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up project are treated as Capital Reserve.
- 9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deduction from the cost of the assets.
- 9.3 Government Grants / Subsidy are accounted on realization basis.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounting at the exchange rate prevailing at the time of transaction.
- 10.2 Current assets, foreign currency loans and currents liabilities are converted at the exchange rate prevailing as on 31st March of said financial year. The resultant gain/ loss related to fixed assets are adjusted to the cost of fixed assets and in other cases are adjusted to the revenue.

11. LEASE

- 11.1 The lease deed has been entered into with Air India and issued vide F No. AERA/10015/Office Rent-Air India/2012 dated 6th Aug 2013.


12. RETIREMENT BENEFITS-


- 12.1 The authority has officers and staff on roll, who have joined from different government organizations on deputation. As per the provisions of FR 115 (a) & 115(b), the leave salary contribution and the pension contribution in respect of these officers/staff have been drawn up & paid up to FY 2015-16. These amounts have been subsequently sent to the concerned organization of the officers/staff on deputation.



- 12.2 The Chairperson, Members of the Authority and government servants who joined government service on or after 01.01.2004 are eligible for govt. contribution under New Pension Scheme. The government contribution for such eligible officers under NPS has been paid up to March 2016.

Place: New Delhi
Dated: 13.10.2016


(Puja Jindal)
Secretary


(S Machendranathan)
Chairperson



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.3.2016

SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES NIL
2. CAPITAL COMMITMENTS NIL
3. LEASE OBLIGATIONS –Lease rent has been finalized.
4. CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the agreement amount shown in the balance sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-Tax Act 1961, no provision for income tax has been made

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. BASIS NIL NIL


6.2 Expenditure in foreign currency:

a) Travel	NIL	NIL
b) Remittance and interest payment to Financial institutions/banks In foreign currency-	NIL	NIL
c) Other expenditure	NIL	NIL
- commission on sales	NIL	NIL
-legal and professional expenses	NIL	NIL
- Miscellaneous expenses	NIL	NIL

6.3 Earnings:

Value of exports on FOB

NIL NIL




7. Remuneration to auditors


As Auditors	1,10,000.00	1,10,000.00
-taxation matters		
-for management services		
-for certification		

Others	NIL	NIL
--------	-----	-----

8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the balance sheet as on 31.03.2016 and the income and expenditure account for the year ended on that date.
9. Previous year figure has been regrouped and rearranged.

Place: New Delhi
Dated: 13.10.2016


(Puja Jindal)
Secretary


(S Machendranathan)
Chairperson



Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) for the year ended 31 March 2016.

We have audited the attached Balance Sheet of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA), New Delhi as at 31 March 2016 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971 read with rule 35(2) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. These financial statements are the responsibility of the AERA's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C & AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that :
 - i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed by the Ministry of Finance.
 - iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Airports Economic Regulatory Authority of India as required under section 35 (1) of AERA Act, 2008 in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv) We further report that :

Comments on Accounts0

A. Balance Sheet

Corpus/ Capital Fund and Liabilities

Current liabilities and Provisions (Schedule 7): ₹ 2.79 crore

The above did not include establishment expenses (salary, wages and other benefits) amounting to ₹ 8.31 crore towards services of AAI employees borrowed by AERA during the period 2010-11 to 2015-16. This has resulted in understatement of prior period establishment expenditure by ₹6.41 crore, establishment expenses for the year 2015-16 by ₹1.90 crore and understatement of 'Excess of expenditure over Income' by ₹ 8.31crore. This issue was also raised in the SAR on the Accounts of AERA for the year 2013-14 and 2014-15, however, no corrective action has been taken.

B. Income and Expenditure Account

B. Income

Grants / Subsidies (Schedule-13) : ₹ 9.52 crore

This includes an amount of ₹ 0.97 crore sanctioned vide Ministry of Civil Aviation letter No. A.V. 23014/001/2010-AD (Vol-III) dated 31 March, 2015 towards grant for financial year 2014-15, which should have been booked as prior period income. This has resulted in understatement of prior period income by ₹ 0.97 crore and overstatement of 'Income' for the financial year 2015-16 to the same extent.

The above issue was included vide Comment 'B' in the Separate Audit Report on the Accounts of AERA for the year 2014-15, however, no corrective action has been taken.

C. General

Office Memorandum dated 05.09.2011 issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India conveyed to all Autonomous Bodies to furnish its accounts to C&AG within three months after closing of accounting year. However, AERA furnished its accounts for the F.Y 2015-16 only on 2nd January 2017 after delay of more than six months.

D. Grants- in- Aid

During the year 2015-16, AERA received Grants-in-Aid of ₹ 8.55 crore from Ministry of Civil Aviation. AERA had an opening balance of unspent grant of

₹ 1.16 crore (₹ 0.17 crore under salary head and ₹ 0.99 crore under non salary head for the year 2014-15). Out of the total grant of ₹ 9.71 crore (₹ 8.55 crore + ₹ 1.16 crore), AERA utilized ₹ 6.60 crore leaving a balance of ₹ 3.11 crore (₹ 0.58 crore under salary head and ₹ 2.53 crore under non salary head) as unutilized grant as on 31 March 2016.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Airports Economic Regulatory Authority of India as at 31 March 2016; and
 - b) In so far as it relates to Income & Expenditure Accounts of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C& AG of India

(Neelesh Kumar Sah)

Principal Director of Commercial Audit
& ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi.

Place: New Delhi
Date: 09 May 2017

Annexure

(To the SAR on the accounts of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA)
for the year 2015-16)

1.	Adequacy of Internal Audit System	Internal Audit has been conducted in AERA for the financial year 2015-16.
2.	Internal Control System	The internal control system is commensurate with size of the organization.
3	System of Physical Verification of fixed assets	Test check reveals that the physical verification of fixed assets was carried out for the financial year 2015-16.
4	System of Physical Verification of Inventory	There was no inventory.
5	Regularity in payment of statutory dues	Test check revealed that during the Financial Year 2015-16 AERA did not deposit the TDS with Income Tax Authorities within the period stipulated as per Income Tax Act, 1961.

**MANAGEMENT REPLIES TO THE COMMENTS OF C&AG, IN ITS SEPARATE AUDIT REPORT ON THE
ACCOUNTS OF THE AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH 2016**

Para No.	Observation of C&AG	Reply of the Authority
A.	BALANCE SHEET Corpus/Capital Fund and Liabilities Current Liabilities and Provisions (Sch. 7) – Rs. 2.79 crore	
	<p>The above did not include establishment expenses (salary, wages and other benefits) amounting to Rs. 8.31 crore towards services of AAI employees borrowed by AERA during the period 2010-11 to 2015-16. This has resulted in understatement of prior period establishment expenditure by Rs. 6.41 crore, establishment expenses for the year 2015-16 by Rs. 1.90 crore and understatement of 'Excess of expenditure over Income' by Rs. 8.31 crore. This issue was also raised in the SAR on the Accounts of AERA for the year 2013-14 and 2014-15, however, no corrective action has been taken.</p>	<p>The authority is a newly created organization & its core function is tariff regulation which is specialized function. As AAI personnel have experience of tariff determination, it was decided by MoCA vide their letter dated 13-05-2009 to post officers/staff from AAI to AERA for a period of Six months initially on loan basis for tariff determination which was subsequently extended upto June 2011. The Authority is fully funded through Grant-in-Aid under the Budget of MoCA and has no other source of income. As such, the AERA does not have enough funds to reimburse the cost of manpower to AAI. Accordingly a proposal has already been sent to the MoCA for obtaining approval to engage manpower from AAI on loan basis and reimburse cost of manpower to AAI on actual basis. Once the proposal is agreed to by the Govt. and additional funds are provided, the Authority would reimburse the cost of manpower to the AAI working at AERA. Till such time, making provision for salary etc for AAI employees in the Books of Accounts of the Authority would create further budgetary deficit of the Authority and increase its carry over liabilities.</p>
B.	Income and Expenditure Account Income Grants/Subsidies (Schedule-13) : Rs. 9.52 crore	
	<p>This includes an amount of Rs. 0.97 crore sanctioned vide Ministry of Civil Aviation letter No. A.V. 23014/001/2010-AD (Vol-III) dated 31 March, 2015 towards grant for financial year 2014-15, which should have been booked as prior period</p>	<p>During the financial year 2014-15, an additional amount of Rs. 96.75 lakhs was provided in RE. Though the sanction letter for Rs. 96.75 lakhs was issued on 31st March 2015, the amount was credited into the bank account of</p>

	<p>income. This has resulted in understatement of prior period income by Rs. 0.97 crore and overstatement of 'Income' for the financial year 2015-16 to the same extent.</p> <p>The above issue was included vide Comment 'B' in the Separate Audit Report on the Accounts of AERA for the year 2014-15, however, no corrective action has been taken.</p>	<p>the Authority only on 2nd April 2015. As such, the amount of Rs. 96.75 Lakh was taken into account in 2015-16. However, the observation of the Audit has been noted for future compliance.</p>
C.	General	
	<p>Office Memorandum dated 05.09.2011 issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India conveyed to all Autonomous Bodies to furnish its accounts to C&AG within three months after closing of accounting year. However, AERA furnished its accounts for the F.Y. 2015-16 only on 2nd January 2017 after delay of more than six months.</p>	<p>Due to shortage of Officers/Staff in AERA, re-allocation of work amongst available officers was done due to which details of provisions and liabilities could not be finalized. This had resulted in delay in the preparation of draft annual statement of accounts. Further necessary corrections on the basis of review report of chartered accountant were carried out in the draft annual statement of accounts. As such there was delay in submission of annual statement of accounts. The observation of audit has been noted and the Authority would take utmost care to submit the annual statement of accounts within stipulated time limit.</p>
D.	Grants-in-Aid	
	<p>During the year 2015-16, AERA received Grants-in-Aid of Rs. 8.55 crore from Ministry of Civil Aviation. AERA had an opening balance of unspent grant of Rs. 1.16 crore (Rs. 0.17 crore under salary head and Rs. 0.99 crore under non salary head for the year 2014-15). Out of the total grant of Rs. 9.71 crore (Rs. 8.55 crore + Rs. 1.16 crore), AERA utilized Rs. 6.60 crore leaving a balance of Rs. 3.11 crore (Rs. 0.58 crore under salary head and Rs. 2.53 crore under non salary head) as unutilized grant as on 31 March 2016.</p>	<p>During FY 2015-16, AERA could utilized Rs. 659.64lakhs out of available funds of Rs. 970.71 Lakhs (including un-utilised grant of Rs. 115.71 lakhs pertaining to FY 2014-15) thereby leaving un-utilised grant of Rs. 311.07 lakhs at the end of FY 2015-16.</p>

ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT

1.	Adequacy of Internal Audit System. Internal Audit has been conducted in AERA for the financial year 2015-16.	Internal Audit of accounts of AERA for the year 2015-16 was done by Chartered Accountant and all the corrective actions required as per observations made by C&AG during last year's audit have been carried out.
2.	Internal Control System. The internal control system is commensurate with size of the organization.	With limited number of employees in AERA, the Authority tried to have internal control system in place.
3.	System of Physical Verification of fixed assets. Test check reveals that the physical verification of fixed assets was carried out for the financial year 2015-16.	The Physical verification of the fixed assets was carried out for the FY 2015-16
4.	System of Physical Verification of Inventory. There was no inventory.	AERA is in the process of maintain inventories as per provisions of GFR-2017.
5.	Regularity in payment of statutory dues. Test check revealed that during the Financial Year 2015-16 AERA did not deposit the TDS with Income Tax Authorities within the period stipulated as per Income Tax Act 1961.	The Authority is deducting tax on payments made to vendors & on salary paid to employees of AERA. The taxes deducted in a month are being deposited in Govt. Treasury before 07 th day of the next month. The TDS return for each quarter is also being filed within stipulated time frame. The tax on amounts, which are not settled at the closing of financial year are deducted at the time of payment made in the succeeding financial year and deposited with the Government.